प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला:–ए.सी.बी. चौकी कोटा **थाना**.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर
प्र0सू0रि0संख्या ....65/22.......... दिनांक.....28/02/2022

2. (1) अधिनियम–भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 ....धारायें – 7
(2) अधिनियम– .... धारायें –
(3) अधिनियम..............................धारायें –..............................
(4) अन्य अधिनियम धारायें..............................

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या......606..........समय......7:30 pm
(ब) अपराध घटने का दिन ... रविवार..दिनांक......27.02.2022...समय 01.00 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की ....दिनांक.....23.02.2022...समय 09.45 ए.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक – हस्तलिखित रिपोर्ट

5. घटना स्थल:–
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– बजानिब पूर्व दक्षिण व 50 किलोमीटर
(ब) पता:– थाना कनवास जिला कोटा ग्रामीण।
जरायम देही संख्या......................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना – थाना कनवास जिला कोटा ग्रामीण।

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम:– श्री चन्द्रप्रकाश
(ब) पिता का नाम – श्री भंवर लाल सैनी
(स) जन्म तिथी/वर्ष........ उम्र 38 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता.– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या..............................जारी होने की तिथी...............
जारी होने की जगह..............................
(र) व्यवसाय– डी0जे0 साउंड
(ल) पता– खेडारसूलपुर थाना कैथून जिला कोटा, राजस्थान।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
(1) श्री रामरतन पुत्र धन्नालाल उम्र 57 साल जाति खटीक निवासी ढीबरी चम्बल थाना खातौली जिला कोटा हाल निवास एच–18 सरकारी क्वाटर पुलिस लाईन कोटा ग्रामीण हाल सहायक उप निरीक्षक थाना कनवास जिला कोटा ग्रामीण।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारण:–.............................. शून्य..
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य.....50000/– रूपये.व ब्लेंक चैक..............................
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..............................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :–

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.02.2022 समय 09:45 ए.एम. पर श्री भारत सिह पुत्र श्री बनेसिह सोलंकी उम्र 40 साल जाति राजपूत निवासी म0न0 109 डी0सी0एम0 रोड थाना उघोगनगर कोटा एक हस्तलिखित शिकायत प्रार्थना लेकर मन् उप अधीक्षक पुलिस हर्षराज सिह खरेडा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा के समक्ष उपस्थित आया व बताया कि यह प्रार्थना पत्र श्री चन्द्रप्रकाश सैनी निवासी खेडारसूलपुर की तरफ से लेकर आया हूँ। उक्त चन्द्रप्रकाश विकलांग व्यक्ति है जिसकी आज तबीयत ठीक नही होने से वह नही आ पाया है बाद मे उसकी आवश्यकता होगी तो वह आपके कार्यालय मे उपस्थित हो जायेगा। उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो उक्त प्रार्थना पत्र चन्द्रप्रकाश सेनी पुत्र भंवर लाल सैनी निवासी खेडारसूलपुर की तरफ से हस्तलिखित है। सहपरिवादी श्री भारत सिह ने उक्त प्रार्थना पत्र चन्द्रप्रकाश द्वारा स्वयं का हस्तलिखित व हस्ताक्षरशुदा होना बताया। उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र इस आशय का है कि प्रार्थी खेडा रसूलपुर कोटा का निवासी है। मेरे पिताजी श्री भंवर लाल जी ने वर्ष 2011 मे शिवप्रसाद उर्फ शिवजी पुत्र श्री धन्नालाल धाकड निवासी आवां तहसील कनवास जिला कोटा व उसके भाईयों से आवां गांव में दलाल के मार्फत जमीन खरीदी थी तथा रजिस्ट्री मेरे पिता जी के नाम करा दी थी शिवप्रसाद उर्फ शिवजी के अलावा उसके अन्य भाई बन्दो की जमीन का नामान्तरण मेरे पिता जी के नाम खुल गया है लेकिन शिवप्रसाद की जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद नामान्तरण नही खुला क्योंकि जमीन का सौदा कराने वाले दलाल की मृत्यु हो गई। मैने व बाबजू तथा मेरे मित्र श्री भारत सिंह निवासी कोटा ने कई बार शिवप्रसाद को नामान्तरण

बाबजू मेरे पिताजी

खुलवाने के लिये बोला लेकिन उक्त जमीन पर बैंक में केसीसी का बकाया होने से बैक के नो ड्यूज का बहाना बनाया व शिवप्रसाद कुछ दिनों मे बैंक का नो ड्यूज प्रमाण पत्र लाने के लिये बोला। हमने बार बार नामान्तरण खुलवाने के लिये कहा तो शिवप्रसाद ने पिछले महिने मेरे पिताजी के खिलाफ थाना कनवास में मुकदमा नम्बर 21/22 धारा 420 में धोखाधडी का मुकदमा करा दिया। मुकदमे की जांच कनवास थाने के एएसआई राम रतन जी कर रहे है। शिव प्रसाद ने मेरे पिताजी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है व राम रतन एएसआई झूठे मुकदमें में गिरफतार करने की धमकी दे रहा है तथा हमारे से पांच लाख रूपये की मांग कर रहा है उसने बोला है कि 2.5 लाख रूपयें शिवप्रसाद के बैंक के सी सी के बकाया जमा कराने पडेगें व 2.5 लाख रूपये मुकदमे की बंद करने के लिये मुझे देने पडेगें। उक्त ए0एस0 आई0 राम रतन थाना कनवास मेंरे मित्र भारत सिहं के मार्फत मुकदमे में एफ आर लगाने के लिये 2.5 लाख रूपये की मांग कर रहा है। हमने भी एस0 पी0 ऑफिस में रिपोर्ट दी तो उक्त ए0एस0आई0 ओर ज्यादा नराज हो गया व दिनांक 22.02.22 को उक्त ए0एस0आई0 ने मोबाईल नम्बर. 9928944066 से बात करके रिश्वत नही देने पर झूठे मुकदमें मे बंद करने की धमकी दी है। उक्त ए0एस0आई0 मेरे मित्र श्री भारत सिहं के मार्फत रिश्वत के 2.5 लाख रूपये लेना चाह रहा है। मैं राम रतन ए0एस0आई0 को रिश्वत नही देना चाहता हूं रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी राम रतन ए0एस0आई0 से कोई रंजिश नही है ना ही कोई पैसो का लेन देन है। मैं विकलागं होने व अभी स्वास्थ्य ठीक नही होने के कारण मेरी रिपोर्ट मेरे मित्र भारत सिहं जी के साथ भेज रहा हूं, बाद में आवश्यकता होने पर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। श्रीमान से निवेदन है उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। सहपरिवादी भारत सिह द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त पर सहपरिवादी भारत सिह ने बताया कि चन्द्रप्रकाश सैनी का मित्र हूँ तथा उक्त प्रार्थना पत्र मे अंकित घटना क्रम की मुझे भी पूरी जानकारी है। अवलोकन प्रार्थना पत्र व पूछताछ सहपरिवादी से उक्त मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से अग्रिम कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी। परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश सैनी की शिकायत सें मामला रिश्वत लेनदेन भ्रष्टाचार का प्रतीत होता है, अतः रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मालखाने सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड निकलवाया जाकर, सहपरिवादी श्री भारत सिह को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बंद करने की विधि समझायी गयी। कार्यालय के श्री बृजराज सिह कानि. 159 को अपने कक्ष मे बुलाकर सहपरिवादी श्री भारत सिह सें परिचय करवाया गया। सहपरिवादी ने बताया कि श्री रामरतन सहायक उप निरीक्षक थाना कनवास जिला कोटा ग्रामीण से आज भी हमारी बात थाना कनवास पर हो सकती है। श्री बृजराज सिह कानि0 159 को उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति वास्ते तस्दीक देकर बताया कि परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश सैनी विकलांग होने तथा स्वास्थ्य ठीक होने से उपस्थित नही हुआ है इसलिये आप सत्यापन से पूर्व सहपरिवादी श्री भारत सिह के साथ परिवादी के घर खेडारसूलपुर जाकर परिवादी से सम्पर्क कर शिकायत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति दिखाकर तस्दीक करके परिवादी चन्द्रप्रकाश सैनी के बताये अनुसार गोपनीय सत्यापन करावें। इस पर सहपरिवादी श्री भारत सिह को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर उसके साथ निगरानी हेतु श्री बृजराज सिह कानि. 159 को वास्ते गोपनीय सत्यापन परिवादी चन्द्रप्रकाश से मिलने के उपरांत करने हेतु निर्देशित कर आरोपी रामरतन ए0एस0आई0 के पास थाना कनवास के लिये रवाना किया गया। जिसकी फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी। समय 04:30 पी.एम.पर सहपरिवादी श्री भारत सिह व श्री बृजराज सिह कानि0 159 मय सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के उपस्थित आया। सहपरिवादी श्री भारत सिह ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि आज मैं व बृजराज सिह कानि0 आपके कार्यालय से रवाना होकर चन्द्रप्रकाष के गांव खेडा रसूलपुर पहुंचे। जहां पर चन्द्रप्रकाष उसके घर पर मौजूद मिला था। श्री बृजराज जी ने चन्द्रप्रकाष को षिकायत प्रार्थना पत्र की प्रति दिखाकर उससे घटना क्रम की सम्पूर्ण जानकारी ली थी। इसके बाद चन्द्रप्रकाष ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नही है इसलिये मैं आपके साथ थाना कनवास पर नही चल सकता हूँ। अतः आप मेरे मित्र भारत सिह के साथ थाना कनवास पर रामरतन ए0एस0आई0 के पास चले जाओ क्योकि वह ए0एस0आई0 मेरे मित्र भारत सिह से ही ज्यादा बात करते है। इस पर मैं व बृजराज जी कानि0 खेडारसूलपुर से रवाना होकर थाना कनवास के पास पहुंचे। जहां पर बृजराज जी थाने के बाहर ही रूक गये थें ओर मैं डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके थाना कनवास के अन्दर गया तो वहां पर पता किया तो रामरतन ए0एस0आई0 किसी काम से जयपुर जाना व 2–3 दिन बाद वापस जयपुर से थाने पर आना बताया। इस पर मेने बाहर आकर डिजीटल वाईस रिकार्डर बंद करके बृजराज जी को बताया ओर इसके बाद हम दोनो वहां से रवाना होकर सीधे कोटा पहुंचे। श्री बृजराज सिह कानि0 159 ने

सहपरिवादी के कथनो की ताईद करते हुऐ बताया कि रवाना होकर मैने परिवादी चन्द्रप्रकाश सैनी के घर पहुंच शिकायत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति दिखाते हुऐ जानकारी ली तो परिवादी चन्द्रप्रकाश ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित व स्वयं के हस्ताक्षरशुदा होना बताया व स्वयं का स्वास्थ्य ठीक नही होने तथा ए0एस0आई0 रामरतन द्वारा मित्र भारत सिह के मार्फत रिश्वत मांग करना बताने पर परिवादी के कहने पर सहपरिवादी के साथ थाना कनवास के लिये रवाना हुआ किन्तु उक्त आरोपी रामरतन एएसआई किसी काम से जयपुर जाना बताया। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित रखा गया तथा सहपरिवादी ने बताया कि मेरी आरोपी रामरतन से बात होते ही मैं आपके कार्यालय मे आ जाउंगा। इस पर सहपरिवादी को आवश्यक हिदायत करके रूकसत किया गया।

दिनांक 26.02.2022 समय 11:25 ए.एम. पर सहपरिवादी श्री भारत सिह कार्यालय हाजा उपस्थित आया जिसने बताया कि मेरी रामरतन ए0एस0आई0 थाना कनवास से बात हो गयी है उन्होने मुझे मेरे मित्र चन्द्रप्रकाश के पिता के विरूद्व दर्ज मुकदमे के मामले मे बात करने के लिये थाना कनवास पर बुलाया है क्योकि रामरतन ए0एस0आई0 मेरे मित्र चन्द्रप्रकाश से बात कम करता है मेरे उपर ज्यादा विश्वास करता है। इसलिये मेरे मार्फत ही मेरे मित्र चन्द्रप्रकाश के पिताजी के खिलाफ धोखाधडी के मुकदमे को बंद करने के लिये ढाई लाख रूपये बतौर रिश्वत मांग रहा है। इसलिये मैं ही थाना कनवास पर जाकर आरोपी रामरतन एएसआई से बात कर लूंगा। इस पर डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाकर सहपरिवादी श्री भारत सिह को चालू व बंद करने की विधि समझायी गयी। श्री बृजराज सिंह कानि0 159 व सहपरिवादी को आवश्यक हिदायत देकर सहपरिवादी श्री भारत सिह को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर उसके साथ निगरानी हेतु श्री बृजराज सिह कानि. 159 को गोपनीय सत्यापन हेतु आरोपी रामरतन ए0एस0आई0 के पास थाना कनवास के लिये रवाना किया गया। जिसकी फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी। समय 06:30 पी.एम.पर सहपरिवादी श्री भारत सिह व श्री बृजराज सिह कानि0 159 मय सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के उपस्थित आयें। सहपरिवादी श्री भारत सिह ने सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि आज हम दोनो आपके कार्यालय से रवाना होकर थाना कनवास के पास पहुंचे। जहां पर बृजराज जी थाने के बाहर ही रूक गये थें ओर मैं डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके थाना कनवास के अन्दर गया तो मुझे थाने पर रामरतन ए0एस0आई0 मिले जिनसे मैने मेरे मित्र चन्द्रप्रकाश के पिता के विरूद्व दर्ज जमीन संबंधी मुकदमे की बातचीत की तो उन्होने मुझसे उक्त प्रकरण मे एफ0आर0 लगाने के दो लाख रूपये की मांग की, इस पर मैने ए0एस0आई0 राम रतन के सामने ही मेरे मित्र चन्द्रप्रकाश से जर्ये मोबाईल स्पीकर ऑन करके बात की तो चन्द्रप्रकाश ने कम कराने के लिये बोला तथा एक–सवा लाख रूपये मे मामला रफा दफा करने की बात कही किन्तु आरोपी रामरतन एएसआई नही माने ओर मेरे काफी निवेदन करने पर रामरतन एएसआई ने डेढ लाख रूपये देने पर मुकदमे मे एफ0आर0 लगाने की बात पर सहमत हुआ तथा उक्त डेढ लाख रूपये मे से एक लाख रूपये नकद व पचास हजार रूपये का चैक मेरे नाम से चन्द्रप्रकाश से लेने व मेरे द्वारा चैक राशि पचास हजार रूपये उक्त ए0एस0आई0 को देने पर सहमत हुआ। इसके बाद मैने थाने के बाहर आकर डिजीटल वाईस रिकार्डर बंद करके श्री बृजराज सिह कानि0 के पास पहुंचा ओर उनको साथ लेकर थाना कनवास से रवाना होकर कोटा पहुंचे थें। हमारे बीच जो भी बातचीत हुई वो सब डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड हो गयी है। श्री बृजराज सिह कानि0 159 ने सहपरिवादी के कथनो की ताईद की। इस पर सहपरिवादी द्वारा बाद रिश्वत मांग सत्यापन पेश डिजीटल वाईस रिकार्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने प्राप्त करके रिकार्ड वार्ता को सुना तो उक्त आरोपी द्वारा परिवादी चन्द्रप्रकाश से सहपरिवादी के मार्फत एक लाख रूपये नकद व 50 हजार रूपये का चैक सहपरिवादी के नाम का मांगने की पुष्ठि हुई। इस पर डिजीटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया। जिसकी फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी। ट्रैप कार्यवाही मे दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से मुख्य चिकित्सा एंव अधिकारी स्वास्थ्य विभाग कोटा को उनके मो0न0 9460081527 जर्ये वाट्सअप एक तहरीर पत्रांक 380 दिनांक 26.02.22 से कल दिनांक 27.02.22 से दो स्वतंत्र गवाह गोपनीय कार्यवाही हेतु इस कार्यालय मे भिजवाने हेतु भेजा गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश कार्यालय हाजा उपस्थित आया। जिसको मन् उप अधीक्षक पुलिस ने मूल शिकायत प्रार्थना पत्र दिखाया गया तो परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित व स्वयं का हस्ताक्षरशुदा बताते हुऐ दिनांक 23.02.22 को अपने मित्र भारत सिह के साथ भिजवाने की ताईद की। परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश को सहपरिवादी श्री भारत सिह की उपस्थित मे आज दिनांक को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश सुनाये गये तो परिवादी ने उक्त वार्ता मे आरोपी रामरतन ए0एस0आई0 थाना कनवास व सहपरिवादी श्री भारत सिह की आवाज की पहचान की। इसके

उपरांत ट्रैप कार्यवाही का आयोजन दिनांक 27.02.2022 को किया जाना है अतः परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश व सहपरिवादी भारत सिह को रिश्वत मे दिये जाने वाली राशि एक लाख रूपये व चैक लेकर दिनांक 27.02.2022 को समय 8.00 एएम पर कार्यालय हाजा आने की हिदायत कर दोनो को रूकसत किया गया। रात्रि अधिक होने तथा स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नही होने के कारण डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार करवायी जायेगी इस पर डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 27.02.2022 समय 08:30 ए.एम. पर परिवादी चन्द्रप्रकाश व सहपरिवादी श्री भारत सिह कार्यालय हाजा उपस्थित आयें। परिवादी चन्द्रप्रकाश ने बताया कि मुझसे नकद 50 हजार रूपये का ही इन्तजाम हो पाया ओर एक मेरे खाते का ब्लैंक चैक लाया हूँ। रामरतन ए0एस0आई0 थाना कनवास मुझसे रिश्वत मे 50 हजार रूपये नकद ले लेगे ओर बाकि के एक लाख रूपये का चैक भरकर दे दूंगा। साथ ही सहपरिवादी श्री भारत सिह ने बताया कि रामरतन ए0एस0आई0 अधिकतर थाने पर दोपहर तक मिलता है तथा दोपहर बाद फील्ड मे निकल जाता है इसलिये आज भी दोपहर पूर्व ही चलना उचित रहेगा। चूंकि सहपरिवादी द्वारा आरोपी का दोपहर पूर्व ही थाने पर मिलना अवगत कराया है, रिश्वत मांग वार्ता मे समय लगने की संभावना होने व समय की कमी के कारण उक्त वार्ता बाद कार्यवाही परिवादी, सहपरिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष मुर्तिब की जावेगी। दो स्वतंत्र गवाहान 1. गौरव कुमार कनिष्ठ सहायक व 2. श्री शुभम मीणा कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग कोटा उपस्थित आयें। जिनका पूर्व से उपस्थित परिवादी व सहपरिवादी से आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी का पेश प्रार्थना पढकर सुनाया गया। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी का प्रार्थना पढकर उस पर गवाह बनने की लिखित सहमति देकर अपने अपने हस्ताक्षर कियें। समय कम होने के कारण उक्त दिनांक 26.02.2022 की रिश्वत मांग सत्यापान वार्ता के मुख्य मुख्य अंश दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गयें। तत्पश्चात् उपरोक्त गवाहान एवं सहपरिवादी के समक्ष परिवादी चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल माली उम्र 38 साल जाति माली निवासी खेडा रसूलपुर ने अपने पास से निकालकर पांच–पांच सौ रूपये के 100 नोट कुल पचास हजार रूपये एवं खाता संख्या 46130100409431, बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा खेडा रसूलपुर जिला कोटा का चेक संख्या "700968" 3256470521 को मन उप पुलिस अधीक्षक को पेश किये, फर्द मे नोटो के नम्बर अंकित किये गयें। श्रीमति सरोज महिला कानि. नं. 104 से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों एवं चेक को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। सहपरिवादी श्री भारत सिह की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री गौरव कुमार से लिवाई गई। सहपरिवादी श्री भारत सिह के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये पचास हजार रूपये को सहपरिवादी के पहने हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब मे तथा पावडर लगे हुये चेक को सहपरिवादी की पहनी हुई शर्ट की दाहिनी जेब में श्रीमति सरोज महिला कानि. नं. 104 से रखवाये गये। इसके बाद एक काँच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्रीमति सरोज महिला कानि. नं. 104 के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान् परिवादी एवम् सहपरिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी वापस मालखाने में रखवायी गई, दृष्टांत की कार्यवाही मे प्रयुक्त किया गया गिलास कार्यालय मे ही छोडा गया श्रीमति सरोज महिला कानि. नं. 104 को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी। ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। सहपरिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें तथा रिश्वत राशि व परिवादी के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर इशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया गया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सहपरिवादी श्री भारत सिंह को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु समझाईश दी।

समय 10:35 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश सैनी को स्वयं की गाडी से तथा सहपरिवादी श्री भारत सिह के साथ श्री बृजराज कानि0 159 को स्वयं की

मोटरसाईकिल आगे आगे रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस हर्षराज सिह खरेडा मय श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री गौरव कुमार व श्री शुभम मीणा मय जाप्ता श्री भरत सिह कानि0 515, श्री नरेन्द्र सिह कानि0 305, श्री मो0खालिक कानि0 213, श्री योगेन्द्र सिह कानि0 282 प्राईवेट वाहन इनोवा मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स के थाना कनवास जिला कोटा के लिये रवाना होकर थाना कनवास परिसर के पास पहुंचा जहां पर पूर्व के रवानाशुदा परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश सैनी तथा सहपरिवादी श्री भारत सिह के साथ श्री बृजराज कानि0 159 उपस्थित मिलें। जिनको आवश्यक हिदायत कर आगे आगे थाना कनवास के लिये रवाना किया। थाना कनवास परिसर के बाहर ट्रैप जाल बिछाकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ परिवादी, सहपरिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे के इंतजार मे मय टीम के मुकिम हुआ।

समय 01:00 पी.एम. पर दौरान गवाहान के समक्ष परिवादी के साथ खडे हुये सहपरिवादी श्री भारत सिह ने थाना कनवास के बाहर चाय की दुकान पर आरोपी द्वारा रिश्वती राशी प्राप्ति का अपने सिर पर हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित इशारा किया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक हर्षराज सिह, दोनों स्वतंत्र गवाह श्री गौरव कुमार एवं श्री शुभम मीणा ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री भरत सिह कानि. नं. 515, श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305, श्री मोहम्मद खालिक कानि. 213 श्री योगेन्द्र सिंह, कानि. नं. 282, श्री बृजराज सिंह कानि. 159 के पैदल चलकर परिवादी एंव सहपरिवादी के पास पहुंचे। मन पुलिस उप अधीक्षक ने सहपरिवादी सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। सहपरिवादी ने अपने पास बावर्दी खडे हुये व्यक्ति की ओर इशारा कर कहा कि ये ही थाना कनवास के रामरतन एएसआई साहब हैं। इन्होने अभी थोडी देर पहले इस चन्द्रप्रकाश के पिताजी श्री भवंर लाल जी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में एफआर लगाने के लिए कल दिनांक 26.02.2022 को 1,50,000/– रूपये की मांग की थी जिसके कम में 50,000/– रूपये इनको दिये तो इन्होने कहा कि बाकी के 1,00,000/– रूपये ओर लाओ जिस पर मैने इनको अपनी जेब सें चेक निकालते हुये कहा कि बाकी बचे हुये रूपयों का चेक ले लो अभी तो इतनों की व्यवस्था हुई हैं, इस पर इन्होने कहा कि बाकी के बचे हुये 1,00,000/– रूपये केस ही दे जाना चेक तो वापस ले जाओ इस पर मैने इनको कहा कि एक दो दिन में व्यवस्था करके दे जाऊंगा इस पर इन्होने सहमति देने के बाद हम तीनों यंहा चाय की दुकान पर आ गये थे तथा आपको निर्धारित इशारा किया।

इस पर बावर्दी खडे हुये व्यक्ति को मन पुलिस उप अधीक्षक ने अपना व टीम का परिचय देकर अपने आने का मन्तव्य बताया व उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री रामरतन पुत्र श्री धन्नालाल जाति खटीक उम्र 57 साल निवासी– ग्राम – ढीबरी चम्बल, थाना खातौली हाल निवास– पुलिस लाईन कोटा ग्रामीण क्वार्टर नं. एच–18 बोरखेडा, कोटा हाल सहायक उप निरीक्षक, थाना कनवास बताया। तत्पश्चात श्री रामरतन ए.एस.आई. सें सहपरिवादी श्री भारत सिंह सें ली गई रिश्वत राशि बाबत पूछा तो वह मौन रहा। पुनः पुछने पर बताया कि इनके जमीन का मामला हैं उसकी केसीसी जमा कराने के रूपये लिये हैं। इस पर रामरतन सें पुनः पुछा की के.सी.सी. कितने की हैं तो बताया कि 50,000 रूपये केसीसी के जमा कराने थे इसलिए लिये थे तथा इनसें लिये 50,000 रूपये स्वंय की पहनी हुई पेन्ट की जेब की तरफ इशारा कर बताया की इसमें रखे हैं। इस पर श्री रामरतन की बात का खण्डन करते हुये सहपरिवादी श्री भारत सिंह ने कहा कि ये एएसआई साहब झूंठ बोल रहे हैं इस चन्द्रप्रकाश के पिताजी श्री भंवर लाल जी ने वर्ष 2011 मे शिवप्रसाद उर्फ शिवजी व उसके भाईयों से आवां गावं में दलाल के मार्फत जमीन खरीदी थी जिसकी रजिस्ट्री इसके पिता जी के नाम करा दी थी शिवप्रसाद उर्फ शिवजी के अलावा उसके अन्य भाई बन्दो की जमीन का नामान्तरण तो इसके पिता जी के नाम खुल गया है लेकिन शिवप्रसाद की जमीन की रजिस्ट्री होने के बाबजूद नामान्तरण नही खुला तथा इसी दौरान सौदा कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मैने व चन्द्रप्रकाश ने कई बार शिवप्रसाद को नामान्तरण खुलवाने के लिये बोला लेकिन उक्त जमीन पर बैक में केसीसी का बकाया होने से बैंक के नो ड्यूज का बहाना बनाया व शिवप्रसाद कुछ दिनों मे बैंक का नो ड्यूज प्रमाण पत्र लाने के लिये बोला। हमने बार बार नामान्तरण खुलवाने के लिये कहा तो शिवप्रसाद ने इसके पिताजी के खिलाफ थाना कनवास में मुकदमा नम्बर 21/22 धारा 420 में दर्ज करा दिया। मुकदमे की जांच ये ही कर रहे है। इस झूठे मुकदमें में इन्होने चन्द्रप्रकश के पिताजी को गिरफतार करने की धमकी दी तथा हम से पांच लाख रूपये की मांग कि 2.5 लाख रूपयें शिवप्रसाद के बैंक के सी सी के बकाया जमा कराने तथा 2.5 लाख रूपये इनको देने के लिए कहा। जिस पर दिनांक 26.02.2022 को सत्यापन के दौरान मैं इनसें मिला तो इन्होने मुझे 1,00,000 रूपये केस तथा 50,000 रूपये का चेक लाने के लिए कहा था किन्तु पूरे 1,00,000 रूपयों की व्यवस्था नहीं होने व इनको 50,000 रूपये आज देने व 1,00,000 रूपये बाद में देने में सहमत होने की संभावना के मद्धेनजर मैने ट्रेप कार्यवाही के लिए आपको 50,000 रूपये चन्द्रप्रकाश सें दिलाये थे तथा वो 50,000 रूपये मैने अभी इनको दिये तो

इन्होने कहा कि बाकी के 1,00,000 रूपये कहां हैं जिस पर मैने कहा कि अभी 50,000/– रूपयों की व्यवस्था हुई हैं बाकी का चेक ले लो इस इन्होने कहा की चेक तो रहने दो तुम तो केस ही देना जिस पर मैने इनको कहा था की 1,00,000/–रूपये मैं आपको एक दो दिन में व्यवस्था करके दे दूंगा इस पर इन्होने कहा था कि ठीक हैं। इसके बाद इन्होने ये भी कहा था कि वो तुम्हारे सामने वाली पार्टी भी पैसे देने के लिए तैयार हैं। इसके कुछ समय बाद मैने आपको इशारा किया था। परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश ने भी आरोपी द्वारा के.सी.सी.जमा करने के लिए 50,000 रूपये लिये जाने की बात का खण्डन करते हुये सहपरिवादी श्री भारत सिह द्वारा कहे गये कथनों की ताईद की।

श्री भारत सिह सें आरोपी द्वारा 50,000 रूपये अपने हाथ सें लेकर पहनी हुई पेंट की जेब में रखने के लिए सहमत होने सें आरोपी श्री रामरतन की हाथ धुलाई की कार्यवाही की जानी हें अतः आरोपी के दोनों हाथ पकडवाकर यथा स्थिती में मय हमराही जाब्ता मय गवाहान परिवादी एवं सहपरिवादी एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों के थाना कनवास में बने थानाधिकारी कक्ष में पहुचें। थानाधिकारी श्री मुकेश त्यागी सें हालात बताकर अग्रिम कार्यवाही हेतु कक्ष उपलबध कराने हेतु कहा जिस पर उन्होने अपने कक्ष में कार्यवाही करने के लिए सहमति दी। अग्रिम कार्यवाही के क्रम में थानाधिकारी कक्ष में रखी हुई पानी की बोतल सें साफ पानी लेकर दो कांच के गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी रामरतन के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 से अंकित किया।

श्री रामरतन के बायें व दाहिने हाथ का धोवन हल्का गुलाबी आया हैं, अतः स्वतंत्र गवाह श्री शुभम मीणा सें श्री रामरतन की तलाशी लिवाई तो श्री रामरतन के पहनी हुई पेन्ट की अन्दर की जेब में पांच–पांच सौ रूपये के नोट मिले उक्त नोटों को स्वतंत्र गवाहान सें गिनवाया गया तो भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये हैं, जिनके नम्बरों का मिलान गवाहान सें फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों सें करवाया गया तो हूबहू मिलान हुआ, बरामद नोटों के नम्बरो का विवरण निम्न हैं–

क0स0	नोटों का प्रकार	नोटों के नम्बर
1.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	3 FG 609675
2.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 AD 817450
3.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 BH 437822
4.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	3 MG 156875
5.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 ML 395648
6.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 ER 875633
7.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 SN 272557
8.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 GQ 558717
9.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	6 RT 230379
10.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 BV 966060
11.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 RP 501052
12.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 ER 398333
13.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 BT 963829
14.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 MA 872801
15.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 HD 833880
16.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 PR 048321
17.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	6 DH 173351
18.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 FW 674046
19.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 KC 611250
20.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 AG 112272
21.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	3 HH 280379
22.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 AD 644992

23.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 HG 156351
24.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 QD 523554
25.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	6 BB 173980
26.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 AV 296603
27.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BQ 767427
28.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 TK 641884
29.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 WP 136670
30.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	6 GA 198295
31.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 GF 058695
32.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	6 EE 789527
33.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	3 FG 855510
34.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 CT 282060
35.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 UT 965135
36.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	3 HG 558121
37.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 AW 466446
38.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 PC 638817
39.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 QN 900974
40.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 AS 104321
41.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 FA 222739
42.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 FG 500387
43.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 MG 833224
44.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 TP 311139
45.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 BH 286149
46.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 ET 444193
47.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 RB 898899
48.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	3 NG 032149
49.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 GD 019141
50.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 DN 096344
51.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 EE 143787
52.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 TG 039089
53.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 ML 395647
54.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 FM 675226
55.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 BL 982080
56.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 GK 303241
57.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 HK 365291
58.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	6 HV 791780
59.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 VA 991887
60.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 PS 404249
61.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 DF 739188
62.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 TN 963694
63.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 TA 858984
64.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	6 MK 554075
65.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 HV 903478
66.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 AB*028586
67.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 CV 038615
68.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 QR 242601
69.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 LE 710871
70.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 MM 115791
71.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 HM 774147
72.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	6 GA 322080
73.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 SC 480590
74.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 FU 437016

75.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 AW 142247
76.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 QQ 541386
77.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 KG 970411
78.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 AS 387391
79.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 WS 337060
80.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 ST 699135
81.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 TR 101362
82.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 NS 573799
83.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 DE 202970
84.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	3 SH 421854
85.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 RU 702522
86.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 SQ 744652
87.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 CT 497031
88.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 UN 994366
89.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 PN 604945
90.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 PN 057975
91.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	3 GQ 518656
92.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 LT 714135
93.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 RM 859863
94.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 RM 859864
95.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 EC 232230
96.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 KW 878358
97.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 BL 340504
98.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 CQ 059914
99.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 MA 960357
100.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 AR 709958

उक्त नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा आरोपी की जामा तलाशी में पहनी हुई शर्ट की जेब में 1570 रूपये, रामरतन का आधारकार्ड, पुलिस पहचान पत्र एंव तीन एटीएम कार्ड एसबीआई बैंक, एक क्रेडिट कार्ड एसबीआई बैंक का तथा एक रोडवेज का कार्ड, एक 6,000 रूपये का भरा हुआ बैंक ऑफ बडौदा खाता संख्या– 01450200000495 शाखा झालावाड रोड कोटा का चेक नं. "002606"324012003 : 900190" 29 प्रगति सिनियर सैकण्डरी पब्लिक स्कूल का तथा एक मोबाईल काले रंग का मॉडल Techno pova neo कम्पनी का डबल सीम मिला जिनके बारे में रामरतन ने बताया कि ये एक एटीएम तथा क्रेडिट कार्ड मेरे सेलेरी अकाउण्ट 51111967858 के हैं। एक एटीएम कार्ड मेरे व मेरी पत्नि के जोइन्ट अकाउण्ट का हैं जिसके अकाउण्ट नम्बर मुझे पता नहीं हैं तथा एक एटीएम कार्ड मेरे सेलरी अकाउण्ट का एटीएम खराब होने पर नया एटीएम बनाया था वो हैं तथा रकम 1570 रूपये मेरे घर खर्च हेतु बैंक सें निकलवाई राशि हैं। चेक के बारे में बार– बार पुछने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, आरोपी द्वारा चेक आदि के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं देने सें जामा तलाशी में मिले 3 एटीएम, 1 क्रेडिट कार्ड एंव चेक को एक लिफाफे में रखकर वजह सबूत जब्त किया गया तथा मोबाईल, पहचान पत्र, रोडवेज का कार्ड व रकम 1570/–रूपये को आरोपी के कहेनुसार थाना स्टाफ श्री महेन्द्र सिह हैड कानि. 473 को सुपुर्द किये गये।

इसके पश्चात एक कांच के साफ गिलास में पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। श्री रामरतन सें उसकी पहनी हुई पेन्ट उतरवाकर दूसरी पेन्ट पहनने को दी गई तथा उतरवाई हुई पेन्ट की अन्दर की जेब को उलटवाकर कांच के गिलास में बने घोल में धोया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, धोवन को दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट करा मार्क P-1, P-2 अंकित किया गया तथा पेन्ट को सुखाकर पेन्ट की जेब पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर थैली पर मार्क P अंकित कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया।

दौराने रिश्वत लेनदेन आरोपी श्री रामरतन द्वारा चेक को वापस ले जाने की कहने सें सहपरिवादी श्री भारत सिह द्वारा फिनोफथलीन पावडर लगे हुये चेक को अपनी जेब में रख लिया था, अतः उक्त चेक को सहपरिवादी श्री भरत सिह सें प्राप्त कर चेक की पीछे की तरफ संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सफेद लिफाफे में रखवाकर वजह सबूत जब्त किया गया।

इसके बाद डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिश्वत राशि लेनदेन के समय रिकॉर्ड हुई वार्ता को मन उप अधीक्षक पुलिस ने सुना तो परिवादी एवं सहपरिवादी द्वारा कहे गये कथनों की पुष्टि हुई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं की ट्रासंक्रिप्ट पृथक सें तैयार की जावेगी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित अपने पास रखा गया।

तत्पश्चात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो कोटा को श्री रामरतन के आवास की खाना तलाशी हेतु निवेदन किया गया। परिवादी के कार्य मुकदमा नम्बर 21/22 धारा 420 आदि सें संबन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करने हेतु थानाधिकारी थाना कनवास के नाम एक तहरीर जारी कर मुकदमा नम्बर 21/22 की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त की गई।

समय 03:20 पी.एम. पर उक्त प्रकरण संख्या 21/22 थाना कनवास की पत्रावली का अवलोकन किया तो उक्त प्रकरण फरियादी शिवप्रसाद उर्फ शिवजी द्वारा परिवादी के पिता भंवरलाल माली के विरूद्व धारा 406, 420 भादस मे पंजीबद्व होकर अनुसंधान अधिकारी श्री राम रतन एएसआई थाना कनवास रहा है जिसके द्वारा प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर अनुसंधान का निष्कर्ष एफ0आर0 सिविल नेचर माना गया है। पत्रावली पर पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण के नाम एफ0आर0 अदमवकू सिविल नेचर मे आदेश हेतु प्रार्थना पत्र लगा हुआ है। उक्त अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण होने के बावजूद परिवादी चन्द्रप्रकाश से रिश्वत प्राप्त करने के उदेश्य से प्रकरण जानबूझकर लंम्बित रखा गया है।

समय 03:30 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी रामरतन पुत्र धन्नालाल उम्र 57 साल जाति खटीक निवासी ढीबरी चम्बल थाना खातौली जिला कोटा हाल निवास एच–18 सरकारी क्वाटर पुलिस लाईन कोटा ग्रामीण हाल सहायक उप निरीक्षक थाना कनवास जिला कोटा ग्रामीण राजस्थान को नोटिस नमूना आवाज दिया गया, मूल नोटिस पर आरोपी ने लिखित मे आवाज का नमूना नही देने बाबत् स्वयं हस्तलेख से " मैं स्वैच्छा से अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूँ " लिखा। मूल नोटिस नमूना आवाज पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

समय 03.50 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस परिवादी व सहपरिवादी की निशांदेही से दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए गऐ। समय 04.10 पी.एम. पर दिनांक 27.02.2022 को दौराने रिश्वत राशि लेन–देन परिवादी चन्द्रप्रकाश, सहपरिवादी श्री भारत सिह एंव आरोपी राम रतन सहायक उप निरीक्षक थाना कनवास जिला कोटा ग्रामीण के मध्य हुई वार्ता, जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड की गई है, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड से उक्त वार्ता श्री बृजराज सिंह कानि.159 के द्वारा को लेपटॉप में लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी, सहपरिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया तथा फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

समय 05:30 पी.एम. पर आरोपी रामरतन पुत्र धन्नालाल उम्र 57 साल जाति खटीक निवासी ढीबरी चम्बल थाना खातौली जिला कोटा हाल निवास एच–18 सरकारी क्वाटर पुलिस लाईन कोटा ग्रामीण हाल सहायक उप निरीक्षक थाना कनवास जिला कोटा ग्रामीण राजस्थान का कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया जाने पर जर्ये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार कर हिरासत मे लिया गया, फर्द गिरफ्तारी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए गए।

समय 05:40 पी.एम. मन् उप अधीक्षक पुलिस हर्षराज सिह खरेडा मय परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश सैनी, सहपरिवादी श्री भारत सिह मय उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री गौरव कुमार, श्री षुभम मीणा मय जाप्ता श्री भरत सिह कानि0 515, श्री नरेन्द्र सिह कानि0 305, श्री बृजराज सिह कानि0 159, श्री मोहम्मद खालिक कानि0 213 तथा योगेन्द्र सिंह कानि0 282, मय गिरफ्तार शुदा आरोपी राम रतन सहायक उप निरीक्षक थाना कनवास जिला कोटा ग्रामीण मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स के मय जप्तशुदा धोवन की कुल 06 शीशीयॉ मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, P-1, P-2, पेन्ट का पैकट, रिष्वत राषि पचास हजार रूपये, परिवादी का ब्लैंक चैक तथा आरोपी राम रतन की जामातलाशी मे मिले तीन एटीएम, एक केडिट कार्ड तथा एक चैक 6 हजार रूपये का, हमराह लेकर थाना कनवास जिला कोटा ग्रामीण से पृथक पृथक वाहनो से रवाना होकर एसीबी चौकी कोटा पहुँचे। तत्पश्चात् समय 07:45 पी.एम. कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड से उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो सहपरिवादी श्री भारत सिह एंव

आरोपी रामरतन सहायक उप निरीक्षक थाना कनवास जिला कोटा ग्रामीण के मध्य दिनांक 26.02.2022 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री बृजराज सिह कानि. 159 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी, सहपरिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर उनके समक्ष फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.20 पी.एम. पर परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश, सहपरिवादी भारत सिह व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड से उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो सहपरिवादी भारत सिह व आरोपी राम रतन सहायक उप निरीक्षक के मध्य दिनांक 26.02.2022 को हुई थी। दिनांक 27.02.2022 को दौराने रिश्वत लेनदेन परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश, सहपरिवादी भारत सिह व आपके मध्य हुई वार्ता को सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया है। उक्त वार्ताओं को डिजीटल वाईस रिकार्डर से लेपटॉप मे लिवाया जाकर, लेपटोप के जरिये सी0डी0 मे डब्ड करवाकर वार्ता की चार सी0डी0 श्री बृजराज सिह कानि0 159 के द्वारा तैयार करवाई गई। जिसमे से एक सी0डी0 माननीय न्यायालय के लिये, एक सी0डी0 नमूना आवाज के लिये व एक सी0डी आरोपी के लिये पृथक पृथक कपडे की थैली मे रखकर शील्ड मोहर की गई एंव एक सी0डी0 अनुसंधान अधिकारी के लिए लिफाफे में रखाकर शामिल पत्रावली की गई। उक्त सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मे लगा हुआ मेमोरी कार्ड SanDisk 16 GB मे उक्त वार्ताऐं रिकार्ड होने से उक्त मेमोरी कार्ड को कपडे की थैली मे रखकर शील्ड मोहर कर मार्क –एम दिया गया। फर्द डबिंग तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण के उक्त जप्तशुदा आर्टिल्स मालखाना प्रभारी श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 304 के सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। बाद कार्यवाही परिवादी, सहपरिवादी एंव स्वतंत्र गवाहान को रूकसत किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि आरोपी रामरतन सहायक उप निरीक्षक थाना कनवास कोटा ग्रामीण द्वारा परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश के पिताजी श्री भंवर लाल जी के विरूद्ध थाना कनवास पर दर्ज मुकदमा नम्बर 21/22 धारा 406, 420 भादस में गिरफ्तार नहीं करने तथा एफ.आर. लगाने की एवज में 2.5 लाख रूपये रिश्वत स्वयं के लिये तथा उक्त राशि के अतिरिक्त उक्त प्रकरण के परिवादी शिवप्रसाद के बैंक की के.सी.सी. के बकाया 2.5 लाख रूपये जमा कराने के लिऐ मांगे गये जिसकी परिवादी की शिकायत देने पर एसीबी द्वारा सत्यापन दिनांक 26.02.2022 को सहपरिवादी भारत सिह से 1,00,000 रूपये नकद तथा 50,000 रूपये का चेक की मांग उक्त सहायक उप निरीक्षक द्वारा की गयी तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 27.02.2022 को परिवादी चन्द्रप्रकाश की उपस्थिति मे सहपरिवादी श्री भारत सिह सें उक्त सहायक उप निरीक्षक ने 50,000 रूपये लेकर पहनी हुई पेंट की अन्दर की जेब में रखे तथा बाकी का चैक नही लेते हुऐ दो चार दिन मे नकद देने के लिए बोला। रिश्वती राशि 50,000/रूपये आरोपी श्री रामरतन की पेन्ट की अन्दर की जेब सें बरामद किये तथा आरोपी रामरतन के दोनो हाथों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने व पहनी हुई पेन्ट की जेब के धोवन का रंग गुलाबी आया।

परिवादी द्वारा दी गयी हस्तलिखित शिकायत, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकसी रिश्वत राशि, रिश्वत लेनदेन वार्ता, रिश्वत राशि बरामदगी, घटना स्थल का नक्शा मौका, आरोपी के दोनो हाथो के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आना तथा आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की अन्दर की जेब के धोवन का रंग गुलाबी आना, आरोपी द्वारा आवाज का नमूने के लिये मना करना व फर्द गिरफ्तारी आदि से आरोपी श्री रामतन पुत्र श्री धन्नालाल जाति खटीक उम्र 57 साल निवासी– ग्राम –ढीबरी चम्बल, थाना खातौली हाल निवास– पुलिस लाईन कोटा ग्रामीण क्वार्टर नं. एच–18 बोरखेडा, कोटा हाल सहायक उप निरीक्षक, थाना कनवास का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उपरोक्त मे बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(हर्षराज सिह खरेडा)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हर्षराज सिंह खरेडा, उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामरतन, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, थाना कनवास, जिला कोटा ग्रामीण के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 65/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

क्रमांक 595-99 दिनांक 28.02.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण, कोटा।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

28.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर